न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल ,दरभंगा

बनारसी साहु वगैरह

वनाम

बिहार सरकार एवं सत्य नारायण राय

वाद संख्यां 39/13-14

नि० सं०- 94 दि० 2-4-14 के द्वारा नकल निर्गत । 10-4-14 प्र०लि०

वाद का प्रकार - अधिकार का प्रख्यापन

आदेश

15.11.2013 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि पर वादी के अधिकार के प्रख्यापन के लिए दायर किया गया है

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा-साहो थाना नंबर-110 थाना बिरौल जिला दरभंगा.

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
1081 पू०	6785	38.154 डी०	उत्तर-कृष्ण राय
3600 नया	8888		दक्षिण-बदामी साहु

प्रथम पक्ष के संक्षेप में कहना है कि प्रश्नगत भूमि मिश्री साहु पिता स्व० रामगुलाम साहु की खानदानी जमीन है जो कि उनको आपसी बंटवारा से प्राप्त हुआ. मिश्री साहु प्रश्नगत भूमि आवेदकगण स्व० बनारसी साहु जो कि आवेदकगण 1 एवं 2 के पिता है एवं लाल बिहारी साहु के नाम से बरावर हिस्सा निवंधित केवाला के माध्यम से बेच दिया एवं खरीददार को दखल दे दिया. आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि का दाखिल ख़ारिज कराकर अंचल को लगान भी दिया जा रहा है एवं लगान रसीद प्राप्त किया जा रहा है. पुनिरिक्षण सर्वे में प्रश्नगत भूमि का खाता बिहार सरकार के नाम से खुल गया जबकि दखल के रूप में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष सत्य नारायण राय को दर्शाया गया है. जिसके कारण वादी का

अधिकार वाधित होता है. अतः वादी का कहना है कि न्यायालय द्वारा हाल सर्वे में दर्ज प्रविष्टि को गलत घोषित किया जाय.

वाद की कारवाई के दौरान विधिवत सभी पक्षों को सुचना दिया गया प्रतिवादी प्रथम पक्ष बिहार सरकार लगातार उपस्थित रहे यद्यपि लिखित जबाब दाखिल नहीं किया गया जबकि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष लगातार अनुपस्थित रहे इसलिए उपलव्ध कागजातों के आधार पर सुनवाई की गई. दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलव्ध कराये गए साक्ष्यों का अवलोकन किया. वादीगण का कहना है कि प्रश्नगत भूमि के हाल खतियान में गलत प्रविष्टी प्रतिवादी बिहार सरकार के नाम से दर्ज हो गया है. वादीगण प्रश्नगत भूमि पर केवाला के आधार पर अपना दावा पेश कर रहे हैं. साक्ष्य के रूप में वादीगण द्वारा निवंधित केवाला की प्रति संलग्न की गई है. प्रतिवादी बिहार सरकार द्वारा सुनवाई के दौरान कहा गया कि वादपत्र में प्रश्नगत भूमि का दो ही चौहद्दी दिया गया है जिसके कारण प्रश्नगत भूमि अस्पष्ट है. साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है जिससे यह सत्यापित हो सके कि पुराना खेसरा 6785 से ही नया खेसरा 8888 बना है. वादी के वादपत्र एवं हाल खतियान में चौहद्दी में दो ही चौहद्दीदार दर्ज है एवं प्रस्तुत केवाला में चार चौहदीदार का नाम दर्ज है परन्तु इन चारों चौहद्दीदार में से किसी का नाम वादपत्र एवं खतियान में दिए गए दो चौहद्दीदार से मेल नहीं खाता है. इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं है कि केवाला से प्राप्त भूमि वही भूमि है जो हाल खतियान में दर्ज है. अतः सक्षम साक्ष्य के आभाव में वाद को ख़ारिज किया जाता है.

उपर्युक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है. उक्त आदेश से उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे.

लेखापित एवं संशोधित

15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बिरौल

15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बिरौल